बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम (A Govt. of Bihar Undertaking)
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration)
TINVAT No.10011255025 CIN- U40102BR2012SGC018495

का0आ0सं0 :– 2040 /पटना दिनांक 01-11-18

H-III/Dept.-Exam-2010/18

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 10/10/2018 को सम्पन्न 64वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या–64–08 के अनुपालन में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत कर्मियों के लिए आयोजित किये जाने वाली विभागीय परीक्षा के प्रावधान में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

1) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में विभिन्न संवर्ग में कार्यरत कर्मियों के लिए आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा यथा (1) सहायक (2) लिपिकीय वर्ग–IV/कनीय सहायक (3) भंडार सहायक (4) दिनचर्या लिपिक (टंकक–सह–लिपिक) (5) कनीय लेखा लिपिक/कनीय लेखा सहायक (6) लेखापाल (7) आई0टी0 अस्सिटेंट एवं (8) लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–I (LPP Part-I) एवं लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–II (LPP Part-II) (जो केवल लेखा कर्मियों के लिए एक अनिवार्य अतिरिक्त परीक्षा पदाधिकारी संवर्ग में (त्वरित) प्रोन्नति के लिए है) को समाप्त किया जाता है, क्योंकि इन परीक्षाओं के उत्तीर्णोपरांत विभिन्न संवर्ग के कर्मी को देय लाभों में समरूपता नहीं है एवं पदाधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान नहीं है जिससे अर्न्तसंवर्गीय विषमता उत्पन्न होती है।

2) वैसे कर्मी जो पूर्व में प्रभावी प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं अभी तक सभी पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, उन्हें उक्त प्रावधान के अन्तर्गत उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने के लिए अधिकतम दो अवसर प्रदान किया जायेगा एवं इस हेतु अगले दो वर्षो में वार्षिक रूप में दो परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी। उक्त दो अवसर इनके लिए निर्धारित अधिक़तम 5 (पॉच) अवसर के शर्त्तो के अधीन होगा एवं LPP Part-I एवं LPP Part-II के लिए अधिकतम तीन अवसरों के अधीन होगा। उदाहरण स्वरूप यदि कोई कर्मी लिपिकीय वर्ग–IV की विभागीय परीक्षा में चार बार सम्मिलित हो चुके हैं तो उन्हें मात्र एक अवसर ही प्रदत्त होगा। इस प्रकार के कर्मी को 2 (दो) अवसर प्रदान करने के लिए विभागीय परीक्षा मार्च 2019 के पूर्व एवं मार्च 2020 के पूर्व आयोजित की जायेगी एवं तत्पश्चात् विभागीय परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। LPP Part-I की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मी LPP Part-II की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है, परंतु उन्हें अधिकतम दो अवसर ही प्रदत्त होंगे।

3) वैसे कर्मी जो अबतक सभी पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हैं, उक्त अधिकतम दो अवसर अथवा शेष एक अवसर के उपभोग के उपरांत विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाते है तो उनकी वरीयता एवं वित्तीय लाभ पूर्व में निर्गत आदेशों में निर्धारित शर्त्तो के अधीन प्रदान किया जायेगा।

4) जिन कर्मियों को विभागीय परीक्षा 2017 (जो दिनांक 09/01/2018 से 12/01/2018 तक आयोजित हुई) में 6ठा अवसर प्रदान किया गया, उन्हें उत्तीर्णता की स्थिति में प्रोन्नति का लाभ नियमानुसार देय होगा, किन्तु स्थाई आदेश संख्या 869 दिनांक 07/10/2009 की कण्डिका 9 में प्रावधानित मूल वरीयता प्राप्त (Regain) करने का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, अर्थात् जिस वर्ष वे उत्तीर्ण हुए हैं, उस वर्ष तक 5 वर्ष के अधीन अवसर प्राप्त कर उत्तीर्ण हो गए अन्य कर्मियों के नीचे वरीयता होगी।

5) जो कर्मी उपर्युक्त अवसर के उपभोग के पश्चात् भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उनकी वरीयता का स्थान उर्त्तीण होने वाले कर्मी के बाद अपने संवर्ग की मूल कोटि की वरीयता के अनुरूप अन्य अनुत्तीर्ण कर्मी/नवनियुक्त कर्मी की वरीयता के अनुसार प्रदान की जाएगी।

6) LPP Part-I एवं LPP Part-II के परीक्षा के समाप्ति के पश्चात् लेखा सम्वर्ग के सभी कर्मी को समान रूप से प्रोन्नति वरीयता क्रम में उस पद तक अनुमान्य की जा सकती है जिस पद तक LPP Part-I एवं LPP Part-II के उत्तीर्ण कर्मी को प्रदत्त रही है, अर्थात् लेखा पदाधिकारी एवं उसके ऊपर के पदों पर। साथ ही लेखा सम्वर्ग के कर्मी को लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु पूर्व से प्रदत्त लेखा पदाधिकारी का कुल स्वीकृत पद का 35% आरक्षित रहेगें।

उपर्युक्त आदेश, आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार

1/11/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

ज्ञापांक 2274, पटना/ दिनांक 01-11-2018

प्रतिलिपि : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के तकनीकी सलाहकार/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक (प्रशा0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

1/11/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

ज्ञाप संख्या 2274 पटना/ दिनांक 01-11-2018

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक (राजस्व)/ महाप्रबंधक– सह–मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियता (असैनिक)/सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी उपमहाप्रबंधक (राजस्व)/सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता/उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)/कम्पनी सचिव/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/प्रशा0)/सभी अवर सचिव बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/ बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

1/11/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

ज्ञाप संख्या, 2274, / दिनांक 01-11-2018

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक (आई0टी0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/ बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को कंपनी के बेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

1/11/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)